# GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI LABOUR DEPARTMENT ADMINISTRATION BRANCH

5 SHAM NATH MARG, DELHI-110054

E-mail: admn-labour@delhi.gov.in

Ph. No.: 011-23963334

F.1/31/1052/LC/Estt./2020/ 4099-4106

Date: 10/11/2025

Date: 10/11/2025

#### CIRCULAR

Sub:-Amendment in Recruitment Rules of the post of Deputy Labour Commissioner in Labour Department, GNCTD.

It is for the information of all concerned that Recruitment Rules for the post of Deputy Labour Commissioner has been framed and published vide No. F.1/31/1052/LC/Estt./2020/3803-3806 on dated 29.10.2025 in Delhi Gazette (Extraordinary) Part- IV in English and Hindi version. The same can also be downloaded from <a href="https://egazette.gov.in/">https://egazette.gov.in/</a>.

(VIJAY CHANDNA)

Dy. LABOUR COMMISSIONER (ADMN.)

### F.1/31/1052/LC/Estt./2020/ 4099-4/06

Copy for information and necessary action to:-

1. Pr. Secretary to Hon'ble Lieutenant Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas, Delhi-

- 2. The SO to Chief Secretary, Delhi, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002
- 3. Deputy Secretary (Services-IV), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-
- 4. PPS to Secy-cum-Commissioner (Labour), Labour Department, GNCTD

5. PPS to Addl. LC, Labour Department, GNCTD

6. The Deputy Director (IT), EDP Cell, Labour Department with the request to upload Recruitment Rules of the aforementioned post (enclosed Gazette notification) on the website of Department.

7. AD (Planning), Labour Department, GNCTD

8. Guard File.

10.11.2025

Dy. LABOUR COMMISSIONER (ADMN.)

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-08112025-267494 SG-DL-E-08112025-267494

#### असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326] No. 326]

दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 2025/ कार्तिक 7, 1947 DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 2025/ KARTIKA 7, 1947 [रा.रा.से.दि. सं. 303 [N. C. T. D. No. 303

#### भाग IV PART IV

#### राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT <u>OF THE NATIONAL CAPITAL TER</u>RITORY OF DELHI

श्रम विभाग

#### अधिसूचना

दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2025

फा.सं. 1/31/1052/एलसी/स्था./2020/3803-3806.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई,1959की अधिसूचना संख्या एफ.27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुएतथा इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों तथा इस सरकार की दिनांक 26.4.2005की अधिसूचना संख्या फा.-01/03(05)/99-एलसी/स्था./खंड-II/105के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श सेएतद द्वाराश्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप-श्रमायुक्त के पद की भर्ती की पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

#### 1. संक्षिप्त शीर्षकएवं प्रारंभः

- i) इन नियमों को "उप-श्रमायुक्त" भर्ती नियमावली, 2025 कहा जाए।
- ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. अनुप्रयोगः ये नियम इन नियमों से संलग्न अनुसूची के कॉलक1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि:- उक्त पदों की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से(13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 5. अयोग्यता:- वह व्यक्ति,
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पित्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
  - (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 6. शिथिल करने की शक्ति:- जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
- 7. **बचाव:-** इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1.	पद का नाम	उप-श्रमायुक्त
2.	पदों की संख्या	(2025) *25 *कार्यभार परिवर्तन के आधार पर निर्भर है
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित समूह'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (रु. 56100-177500)
5.	क्या चयन पद/गैर-चयनपद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष से अधिक नहीं।
		(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय है)
	proper no solution	टीप: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापितहोगी ।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	अनिवार्य :
		1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री तथा ;

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से औद्योगिक संबंध या कार्मिक प्रबंधन या मानव संसाधन विकास में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर उपाधि। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से औद्योगिक संबंध या कार्मिक प्रबंधन या मानव संसाधन विकास में विशेषज्ञता के साथ 02 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा: अनुभव:- कार्यकारी या प्रबंधकीय क्षमता में प्रशासनिक, श्रमकानूनयामानवसंसाधनयाकार्मिक प्रबंधन से संबंधित मामलों का संचालन करने वाले केन्द्र सरकार/ राज्यसरकार/ संघराज्य क्षेत्र/ स्वायत्त या सांविधिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / विश्वविद्यालयों/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारियों के रूप में कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव। या ईएसआई/ईपीएफ अधिनियम के अंतर्गत आने वाले निजी संगठन में कार्य करने का तथा पर्यवेक्षीया प्रबंधकीय क्षमता में प्रशासनिक, श्रम कानून या मानव संसाधन या कार्मिक प्रबंधन से संबंधित मामलों को संभालने में तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय: हिन्दी और/याअंग्रेजी का ज्ञान। योग्यता मानक टीप अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं , कारणों को लिखित अभिलेख बद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं। अनुभव मानक टीप:-यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएं) कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है/हैं। क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए 8. निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं आयु सीमा नहीं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी। 9. 02 वर्ष सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ पदोन्नति परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो वाले उम्मीदवारों हेत

10. भर्ती की पद्धित, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों से भरी जानेवाली रिक्तियों का प्रतिशत

11. पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है

50% सीधी भर्ती द्वारा

50% पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर अल्पकालिक संविधा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा

#### पदोन्नति:-

वेतन स्तर-6 (35400-1,12,400) में10 वर्ष की नियमित सेवा सहित निरीक्षण अधिकारी।

टीप:- श्रम अधिकारी जिन्होंने वेतन स्तर-6 (35400-1,12,400) में निरीक्षण अधिकारी के रूप में तथा वेतन स्तर-7 (44900-1,42,400) में श्रमअधिकारी के रूप में10 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा पूरी कर ली है, वे भी पदोन्नित हेतु पात्र होंगे।

प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी):-

केंद्र सरकार/राज्यसरकार/संघराज्यक्षेत्र/स्वायत्त या सांविधिक संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी:

(क)

i.) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी;

या

ii.) मूल संवर्ग या विभागमें वेतन मैट्रिक्स के स्तर -09 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरान्त प्रदत्त 02 वर्ष की सेवा सहित;

या

iii.) मूल संवर्ग या विभागमें वेतन मैट्रिक्स के स्तर -08 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरान्त प्रदत्त 04 वर्ष की सेवा सहित;

या

- iv.) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -07 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के उपरान्त प्रदत्त 05 वर्ष की सेवा सहित; तथा
- (ख) कॉलम संख्या 07 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएं और अनुभव रखता हो।

#### मानक टीप: जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो या दो वर्ष. जो भी कम हो, उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रुखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधिमें केन्द्र सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान 12. विभागीय पदोन्नति समिति:-हो, तो उसकी संरचना क्या है। 1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष/सदस्य - अध्यक्ष 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रदिल्ली सरकार 3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में संबंधित प्रशासनिक सचिव - सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति:-अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधानसचिव(गृह) - अध्यक्ष 1. संबंधित प्रशासनिक सचिव - सदस्य 2. विशेष/अपर सचिव (श0 वि0) - सदस्य वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के मामले में संघ लोक सेवा आयोग से 13.

परामर्श आवश्यक है।

सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, प्रशांत गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-आयुक्त

## LABOUR DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 24th October, 2025

F.1/31/1052/LC/Estt./2020/3803-3806.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. F.27/59-Him (i) dated 13th July, 1959 and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of this Government's Notification No. F.-01/03(05)/99-LC/Estt./Vol.II/105 dated 26.04.2005 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Labour Commissioner in the Labour Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:

- 1. Short title and commencement:
  - i) These rules may be called "Deputy Labour Commissioner" Recruitment Rules, 2025.
  - ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Application: These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of post, classification and Level in the Pay Matrix. The number of post, its classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto shall be a specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.: The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said schedule.
- 5. Disqualifications: No person,
  - Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax: Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons in consultation with UPSC.
- 7. Saving: Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE-I

1	Name of the post	Deputy Labour Commissioner
2	Number of Posts	25* (2025)  * Subject to variation dependent on workload
3	Classification	General Central Service, Non Ministerial Gazetted Group 'A'
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level -10 (Rs. 56100-177500)in the Pay Matrix.
5	Whether selection post/ Non- selection post	Selection Post
6	Age limit for Direct Recruits	Not exceeding 35 years.  (Relaxable for govt. servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)
		<b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the UPSC.

Educational and other qualification required for Essential: Direct Recruits Degree of a Recognized University and; Post Graduate Degree with specialization in Industrial Relations or Personnel Management or Human Resource Development from a Recognized University/ Institution. OR 02 years Post Graduate Diploma with specialization in Industrial Relations or Personnel Management or Human Resource Development from a Recognized University/ Institution and: Experience:-Three years' experience of working as Officers of the Central Government/State Government/Union Territories/Autonomous or Statutory Organization/ PSUs /Universities/ Recognized Research Institutions handling administrative, Labour Law or Human Resource or Personnel management related issues in Executive or Managerial capacity. OR Three years' experience of Working in Private organization which is covered under ESI/EPF Act and dealing in administrative, Labour Law or Human Resource or Personnel management related issues in Supervisory or Managerial capacity. Desirable: Knowledge of Hindi and/or English. Qualification Standard Note Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Experience Standard Note:-The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of UPSC, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes if at any stage of selection the UPSC, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case No of promotes Period of Probation, if any 02 Years for direct Recruits as well as for promotees Method of recruitment whether by direct 50% by direct recruitment recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled 50% by promotion failing which Deputation including by various methods Short Term Contract

In case of recruitment by promotion/ deputation | Promotion:from which grades /absorption, promotion/deputation/absorption to be made)

Inspecting Officer with 10 years of Regular Service in pay level-6 (35400-1,12,400).

Note:- Labour Officer who has completed combined regular service of 10 years as Inspecting officer in Pay Level-6 (35400-1,12,400) and as Labour officer in pay level-7 (44900-1,42,400) will also be eligible for promotion.

#### Deputation (ISTC):-

Officers of the Central Government/ State Government/ Union territories/Autonomous or Statutory Organization /PSUs/ Universities/ Recognized Research Institutions: a).

i.) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department;

OR

ii.) With 02 years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-09 of pay matrix in the parent cadre or department;

OR

iii.)With 04 years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-08 of pay matrix in the parent cadre or department;

OR

- iv.) With 05 years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Level-07 of pay matrix in the parent cadre or Department; and
- b). Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under Col. No. 07.

#### Standard Note:

Juniors who have completed Where qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered short of requisite are not provided they qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

The Period of Deputation (ISTC) including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or department of the Central another organization/ aball andimently make and



12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Departmental Promotion Committee:-  1. Chairman/ Member of the UPSC - Chairman  2. Chief Secretary, GNCT of Delhi - Member  3. Administrative Secretary concerned in the Govt. of NCT of Delhi - Member
		Departmental Confirmation Committee:-  1. Addl. Chief Secretary (Home)/Pr. Secretary (Home)  - Chairman  2. Administrative Secretary Concerned  3. Special/Additional Secretary (UD)  - Member
13	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Consultation with the UPSC is necessary in case of DR and promotion.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

PRASHANT GOYAL, Addl. Chief Secy.-Cum-Commissioner